न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख इस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– उत्पाद अधिहरण वाद सं0–83 / 2017–18 राज्य बनाम रणवीर यादव

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
12.09.2017	***आदेश*** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2495 / हि0शा0, दिनांक 05.08.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम –2016 के अन्तर्गत मानसी थाना कांड संख्या–134 / 17 में वादी स0अ0नि0 श्री जय कुमार प्रसाद द्वारा गुप्त सूचना के आधार टी0भी0एस0 मोटर साईकिल गाड़ी नं0–BR-34 K-1706 पर एक ब्लू लाल चेकदार रंग के झोला में रखा रॉयल स्टेग कम्पनी का 750 एम0एल0 का 12 (बारह) बोतल एवं दो समसंग कम्पनी का छोटा वाला मोबाइल बरामद किया गया।जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद–बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची, पुलिस निरीक्षक, सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत हैः– जप्ती सूची के अनुसार मानसी वलहा जाने वाली रोड में पंकज सिंह गद्दी के सामने सड़क पर टी0भी0एस0 मोटर साइकिल नम्बर BR–34K–1706 पर बैठा रणवीर यादव पे0 नागा यादव साकिन सैदपुर, थाना–मानसी एवं राकेश कुमार पे0 सुभाष गुप्ता साकिन–बखरी बस स्टैण्ड, थाना+जिला–खगड़िया के बीच में रखा झोले से एक ब्लू लाल चेकदार रंग के झोला में कादून में रखा रॉयल स्टेग कम्पनी का 750 एम0एल0 का 12 (बारह) बोतल विदेशी शराब प्रत्येक बेतल पर For Sale in Jharkhand only लिखा हुआ बरामद किया गया। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को	

विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

विपक्षी रणवीर यादव पिता–रामेश्वर यादव ग्राम–सैदपुर, थाना–मानसी जिला–खगड़िया के विरूद्ध ज्ञापांक 262/डी0बी0/विधि, दिनांक 24.8.2017 से नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0 नं0 264 /विधि, दिनांक 24.08.2017 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया को अपने अधिनस्थ थाना के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया ।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 2584 दिनांक 05.09.2017 से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

डी0बी0नं0–255/विधि, दिनांक 18.08.2017 से जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी।

जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 1162/परि, दिनांक 21.08.2017 से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया। जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या BR-34k-1706 चेसिस न0 MD625NF15D1B99176 MODEL STAR CITY रणवीर यादव पिता–रामेश्वर यादव ग्राम–सैदपुर थाना–मानसी, जिला–खगड़िया के नाम से पंजीवद्ध है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, परन्तु वे जानबुझकर प्रक्रिया को बाधित करने के दृष्टिकोण से सुनवाई के प्रक्रम में उपस्थित नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि वे न्यायालय की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर न्यायालय की प्रक्रिया को लम्बा कर अंतिम निर्णय से बचना चाहते हैं। इस स्थिति में विपक्षी को सुनवाई का और अधिक अवसर दिया जाना न्यायहित में नहीं है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2495/हि0शा0, दिनांक 05.08.2017 के साथ संलग्न स0अ0नि0 मानसी थाना के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन संख्या BR-34k-1706 चेसिस न0 MD625NF15D1B99176 MODEL STAR CITY जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वार इस कांड में विधिवत की गयी जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58(2)के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से स्पष्ट है कि BR-34k-1706 चेसिस न0 MD625NF15D1B99176 MODEL STAR CITY का इश्तेमाल शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत वाहन संख्या BR-34k-1706 चेसिस न0 MD625NF15D1B99176 MODEL STAR CITY मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि :—

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन संख्य BR-34k-1706 चेसिस न0 MD625NF15D1B99176 MODEL STAR CITY है जो जप्त कर मानसी थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन संख्या BR-34k-1706 चेसिस न0 MD625NF15D1B99176 MODEL STAR CITY का मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख—रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया। 12/9/17

न्यायालय समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता,
खगड़िया 12/9/17

3/

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
1.	02.	3

डी0 बी0 नं0 334 /विधि, दिनांक 26-9-17

प्रतिलिपिः– जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

26/9/17

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
खगड़िया।

26/9/17

A/C